2021/91

19/3/21
26/3/21
16/4/21
13/5/21
15/7/21
23/9/21

सरवर्क
राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख पेशी
प्रा०पत्र	78/2021	2/3/21	सालरियां कलां			15/3/22 21/6/22 17/11/22 12/12/22

अनवान

श्री नन्दा पिता सुखा बैरवा बनाम श्री राजस्थान सरकार जरिये
नि० सालरियां कलां पं० तहसीलदार बनेड़ा

निगराकार / प्रार्थी / अपी. अप्रार्थी / रेस्पो.

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

वकील वादी
ए. श्री मुरारी जोशी

वकील प्रतिवादी
ए. श्री ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार को भी सुना गया। पत्रावली में प्रार्थनापत्र, संलग्न दस्तावेजों व बहस प्रार्थी अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार से यह स्पष्ट आया कि प्रार्थीगण की एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के पेश कर आशय पेश किया कि ग्राम सालरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरदारनगर, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा की खाता सं. 214 के आराजी नं. 356, 420, 421/1, 428, 429, 509, 673, 674, 736 कुल खसरा 09 रकबा 2.5165 है. की खातेदारी आराजीयात उनके नाम दर्ज रिकार्ड विरासत से जरिए नामान्तरण सं. 165 दिनांक 5.3.19 हुई। हालांकि दौराने नामान्तरणकरण प्रार्थी नं. 1 से 5 के पिता का नाम केला दर्ज हो गया जबकि उनके पिता का नाम कुरमा होना था व भैरव और इनके दादाजी थे इनका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	नाम लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हो गया है अतः राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण सं. 1 से 4 के पिता केला के बजाय सुखा दर्ज हो तथा प्रार्थी सं. 5 के पति का नाम केला के बजाय सुखा दर्ज हो। उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से व वकील प्रार्थी की बहस से एवं पैरोकार सरकार की बहस से यह स्पष्ट आया की नामान्तरण सं. 1651 दर्ज होते वक्त सुखा पि केला (जिसका नामान्तरण फौत होने के कारण वारिसान के नाम खोला गया) के वारिसान पुत्र, पुत्री, पत्नी के पिता व पति का नाम सुखा ही दर्ज होना था परन्तु लिपिकीय त्रुटि से सुखा के पिता केला का नाम दर्ज हो गया। अतः यह आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम केला की बजाय

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मुरखा दर्ज किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाकर लेखबद्ध किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 12/12/22	